

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 29/07/26,

संख्या-----/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), अररिया के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री महावीर प्रसाद - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री अभिषेक कुमार - सदस्य
गैर न्यायिक
3. श्रीमती अनीता सिंह - सदस्य
गैर न्यायिक

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा ।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार अररिया जिला तक सीमित रहेगा ।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे ।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय ।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/ 1449

पटना, दिनांक 29/07/26,

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, अररिया/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 29/04/26,

संख्या-22/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), **मधेपुरा** के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री अजित कुमार मिश्रा - अध्यक्ष
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. उपरोक्त अध्यक्ष का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार मधेपुरा जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1750/

पटना, दिनांक 29/04/26,

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधेपुरा/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक-29/04/26,

संख्या-23/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), पश्चिम चम्पारण बेतिया के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री सत्य प्रकाश शुक्ला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त - अध्यक्ष
2. उपरोक्त अध्यक्ष का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार बेतिया जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

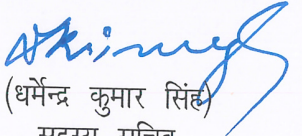
(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1757/

पटना, दिनांक 29/04/26.

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक-29/04/26,

संख्या-26/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), नवादा के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री अनिल कुमार - अध्यक्ष
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. उपरोक्त अध्यक्ष का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा ।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार नवादा जिला तक सीमित रहेगा ।
4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे ।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय ।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-1752-----/

पटना, दिनांक 29/04/26,

प्रतिलिपि-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, नवादा/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव